परिच्छेद - नवम

रायगढ़ जिले में वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (लैम्प्स) की जीवन क्षमता

शासन प्रणालियों में जो स्थान प्रजातंत्र का है, व्यावसायिक प्रणाली में वही आदर्श स्थान सहकारिता का है।"

- डॉ. बी.एल. वार्ष्णेय

-: परिच्छेद नौ :-

रायगढ़ जिले में वृहताकार आदिमजाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों [लैम्पस] की जीवन क्षमता

जीवन क्षमता भारतीय सहकारिताओं के अध्ययन के क्षेत्र में एक गंभीर विवेच्य विषय रही है। भारतीय ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के संबंध में जीवन क्षमता के अभाव की बात बराबर उठायी जाती रही है। सहकारिता विषय पर गठित सभी महत्वपूर्ण समितियों ने भारतीय सहकारिता की इस गंभीर समस्या पर विचार किया है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति [1954] ने जब यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि " भारत में सहकारिता विफल रही है, परन्तु इसे अवश्य सफल होना चाहिये "[1] तो उसने कृषि पर शाही आयोग [1928][2] की इस प्रस्थापना कि " सहकारिता ही ग्रामीण भारत की सर्वोत्तम आशा है " की पुष्टि करते हुए ग्रामीण सहकारिताओं को जीवन-क्षम बनाने के उपायों पर विचार किया। जीवन -क्षमता विषय पर सहकारिता के क्षेत्र में अनेक विचारकों ने चिन्तन किया है और अवधारणायें विकसित की हैं। नीचे प्रस्तुत अनुच्छेदों में इन्हीं अवधारणाओं की समीक्षा की गयी है :-

जीवन-क्षमता [बॉयवलिटि] का अभिप्राय जीवित रहने और विकसित स्थिति में बने रहने की क्षमता है। जब इस शब्द का प्रयोग किसी संस्था या संगठन के संदर्भ में किया जाता है तो उसका तात्पर्य उस संस्था / संगठन की ऐसी स्थिति से होता है जिसमें वह विकसित और सशक्त रह सकती है। सहकारिता क्यों कि मूलतः एक व्यावसायिक संगठन है इसलिये सहकारी समितियों की जीवन-क्षमता विवेच्य समितियों की उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें वे समितियां अपने सदस्यों के लिये निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप अपने कार्य व्यवसाय का संचालन आर्थिक कुशलता पूर्वक कर पाती हैं और सदस्यों के लिये अंशधारिता-लाभांश वितरित करने की स्थिति में रहती हैं।

सहकारिता के संदर्भ में जीवनक्षमता की अनेक लेखकों ने विवचेना की है और उसके निहितार्थो एवं अनुप्रयोगों की छानबीन की है। कुछ प्रमुख अवधारणाएं, जो इन लेखकों के द्वारा आगे लायी गयी, नीचे व्यक्त की गयी है ।

हिक्स और गल्लेट [1975][3] ने जीवन-क्षमता को तकनीकी कार्यक्षमता, वित्तीय सुदृढ़ता तथा सेवाओं की प्रभावशीलता के साथ संबंधित करते हुए उसकी परिभाषा इन शब्दों में दी :

" कोई भी संगठन तभी जीवन-क्षम [वायेबल] बन सकता है जब वह अपने सदस्यों के उद्देश्यों की, तकनीकी कार्यक्षमता, वित्तीय सुदृढ़ता और सेवाओं की प्रभावशीलता के द्वारा, संतुष्टि कर पाता है।" 4.

ओवर्न एवं जोहेस [1983] [5]के अनुसार --

" किसी भी सहकारी समिति को तभी जीवनक्षम माना जा सकता है यदि वह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल होने के साथ-साथ आसपास के समूहों एवं सहभागी समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकता है।" 6.

ओवर्न एवं जोहेस की अवधारणा सहकारिता को उसकी व्यावसायिक प्रकृति के साथ उसके सामाजिक एवं कल्याणकारी आयाम को जोड़ती है। फलत: उसकी परिभाषा के अनुसार किसी भी सहकारी संगठन को तभी जीवनक्षम माना जा सकता है जब वह एक व्यावसायिक इकाई की तरह अपने अंशधारियों के उद्देश्यों की पूर्ति करने में तो सफल रहता ही है, साथ ही साथ आसपास के संपूर्ण समाज के लिये भी उपयोगी बन पाता है।

कुलन्दाय स्वामी और नागराजन [1986] [7] ने किसी सहकारी समिति को जीवन-क्षम होने के लिये उसकी वित्तीय सुदृढ़ता, आत्म निर्भरता और व्यापार क्षेत्र पर पर्याप्त पकड़ को आवश्यक बतलाया है। उन्हीं के शब्दों में,

" अपने सदस्यों तथा आसपास के समुदायों को सक्रिय सेवा प्रदान करने के लिए एक जीवनक्षम सहकारी समिति को वित्तीय दृष्टि से अवश्य सुदृढ़ होना चाहिये, उसे आत्मनिर्भर होना चाहिये तथा साथ ही साथ उसके पास पर्याप्त व्यवसाय होना चाहिये।" 8.

1960 में सहकारी साख पर गठित समिति [दि कमेटी ऑन को-ऑपरेटिव क्रेडिट, 1960][9] ने एक जीवनक्षम सहकारी समिति की परिभाषा इन शब्दों में दी है :

" एक जीवन-क्षम सहकारी इकाई वह है जो कुछ सीमित अवधि के प्रकरणों को छोड़कर सहकारी वित्तीय सहायता पर निर्भर हुए बिना, पर्याप्त रूप से अपने उद्देश्यों के अनुरूप महत्वपूर्ण सेवाओं को अधिक से अधिक सदस्यों तक पहुंचाने में सफल होती है।" 10.

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 1954, ने अपने सुझावों में सहकारी समितियों की सक्षमता हेतु उनकी व्यवसाय वृद्धि और उनमें सक्षम कर्मचारियों / अधिकारियों की नियुक्ति पर बल दिया। 11.

सहकारिता प्रबंध पर बैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय संस्थान, पुणे (1982) द्वारा सम्पन्न कराये गये गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और बिहार के पांच राज्यों की लैम्पस संस्थाओं के मूल्यांकन अध्ययन में इन संस्थाओं की जीवन-क्षमता की वृद्धि के लिये वित्तीय स्थिति और संस्थाओं द्वारा सम्पन्न किये गये कार्यो के अपेक्षित स्तर के विकास को प्रमुखता दी गयी।[12.] अध्ययनदल के शब्दों में,

" लैम्पस संस्थाओं की जीवन-क्षमता उनके द्वारा सेवित भौगोलिक क्षेत्र पर उतनी निर्भर नही है जितनी उन्हें विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त वित्तीय सुविधाओं एवं तत्संबंधी प्रबंधों की प्रकृति तथा सम्पन्न किये जा रहे कार्यकलापों के प्रकारों पर निर्भर है। यदि लैम्पस संस्थाओं की जीवन-क्षमता को बढ़ाना है, तो उन्हें कुछ करना अति आवश्यक है। आदिवासी विकास निगम को अधिक आर्थिक सहायता (सबसिडि) देकर उनके माध्यम से लैम्पस संस्थाओं को वित्तीय सुदृढ़ता के साथ आदिवासी विकासके आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ाना तथा उसके संचालन के स्तर को ऊंचा उठाना आवश्यक है।" [13.]

जीवन क्षमता के संकेतक तथा मापदण्ड

किसी संस्था को जीवनक्षम तभी कहा जा सकता है यदि वह अपने व्ययों को पूरा करने के बाद पूंजी पर प्रतिफल प्रदान करने के अतिरिक्त कुछ अंश को पृथक करने के लिये पर्याप्त आय अर्जित करने में समर्थ होती है। परन्तु केवल लाभ का अर्जन ही जीवनक्षमता नहीं है। जीवन क्षमता का उचित परीक्षण इस बात की जांच में निहित है कि कोई भी इकाई उसे प्रदान किये गये कार्यो एवं भूमिका का कुशलतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण ढ़ंग से निर्वहन करने में कहां तक सक्षम है। इसलिये एक जीवन-क्षम इकाई न केवल अपने वर्तमान वित्तीय परिसाधनों के कुशल उपयोग से संबंधित होती है बल्कि यह वित्तीय परिसाधनों के निर्माण और भावी परिसाधनों के उपयोग से संबंधित रहती है। एक जीवनक्षम इकाई उन सभी समस्याओं का पर्याप्त दोहन करती है जो उसकी सुदृढ़ता को बढ़ा सकती है एवं उसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकती है।

वर्ष 1964 में हैदराबाद में आयोजित राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन में एक प्राथमिक समिति की जीवन क्षमता के निर्धारण के लिये चार मापदण्ड निर्धारित किये गये थे।[14.]

(अ) एक सवैतनिक एवं योग्य पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करने की योग्यता

(ब) स्वयं के अथवा किराये के भवन में एक नियमित कार्यालय स्थापित करने की योग्यता.

(स) आवश्यक समझी जाने वाली मात्रा में वैधानिक एवं निधियों का अंशदान करने की क्षमता.

(द) पूंजी पर प्रतिफल प्रदान करने की क्षमता.

भारतीय रिजर्व बैंक (1969) द्वारा प्राथमिक समितियों की जीवन क्षमता के लिये निम्नलिखित पांच मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं --

(क) प्रत्येक प्राथमिक समिति इस स्थिति में होनी चाहिये, जिसमें वह एक कार्यालय की स्थापना कर सके और एक पूर्णकालिक सवैतनिक सचिव की नियुक्ति कर सके।

(ख) वह कम से कम दो लाख रूपये का साख व्यवसाय करती हो।

(ग) समिति अपने अतिदेय ऋणों को न्यून स्तर पर बनाये रखने पर समर्थ हो।

(घ) जीवन क्षमता के निर्धारण के लिये अल्पकालीन कृषि-व्यवसाय एवं अन्य मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन, कृषि-व्यवसाय की गणना की जानी चाहिये और उपभोग साख को अतिरिक्त क्षमता के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिये। दो लाख रूपये की निम्नतम साख क्षमता प्रदान करने के लिये सामान्य रूप से दो हजार हेक्टेयर के कुल फसल क्षेत्र को, चाहे वह सिंचित हो या असिंचित आधार बनाया जाना चाहिये।

केरल सरकार की सहकारी साख पर उच्च स्तरीय समिति (1980) ने जीवनक्षमता के लिये 12 संकेतकों का निर्धारण किया, जो इस प्रकार हैं [15].

(1) समिति कम से कम 20 हजार जनसंख्या अथवा एक पंचायत क्षेत्र का आच्छादन कर रही हो।

(2) उसकी सदस्य संख्या कम से कम 1500 हो।

(3) उसकी अंशपूंजी एक लाख रूपये से कम न हो।

(4) उसका साख-संचालन 6 लाख रूपये से कम न हो।

(5) उसके पास कम से कम एक लाख रूपये न्यूनतम जमा हो।

(6) समिति के पास निजी भवन हो।

(7) समिति के पास कम से कम तीन सवैतनिक कर्मचारी हों।

(8) नगद एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की संरक्षित सुरक्षा हेतु दोहरी नियंत्रण पद्धति लागू की गयी हो।

(9) उपभोक्ता वस्तुओं, उर्वरकों, कृषि गतिविधियों के लिये आपूर्ति, भवन-निर्माण तथा उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में समिति एक अग्रणी भूमिका निभा रही हो।

(10) समिति अपने सदस्यों की कृषि साख आवश्यकताओं का कम से कम 50 प्रतिशत भाग पूरा करने में सक्षम हों।

(11) आवश्यक समझे जाने वाले पैमाने तक समिति वैधानिक एवं अन्य निधियों में अंशदान करने में समर्थ हो तथा पूंजी पर प्रतिफल देने में भी समर्थ हो।

(12) समिति अपने अतिदेय ऋणों का न्यूनतम स्तर बनाये रखने में सक्षम हो।

गोयल (1988)[16.] ने सहकारिताओं की जीवनक्षमता के निर्धारण के लिये अनुपात विश्लेषण की विधि प्रस्तावित की तथा इस विधि के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुपातों को आधार बनाया :-

(1) ऋण एवं अंश पूंजी अनुपात में प्रदत्त ऋणों की मात्रा से अंशपूंजी का अनुपात बहुत निम्न होने से समिति को बाहरी उधार का सहारा लेना पड़ता है क्यों कि अधिकांश सहकारिताएं सहकारी वित्तीय संस्थाओं से लिये गये उधार पर आश्रित है इसलिये उनका अंशपूंजी अनुपात बहुत कम पाया जाता है। वित्तीय सुदृढ़ता के लिये इस अनुपात को बढ़ाने की आवश्यकता होती है।

(2) चालू अनुपात अर्थात् चालू दायित्व तथा चालू सम्पत्तियां - यह अनुपात उस स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें कोई संगठन अपने चालू सम्पत्तियों से अपने चालू दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम होता है।

(3) कार्यशील पूंजी एवं सकल व्यवसाय अनुपात - इस अनुपात के द्वारा इस स्थिति को समझने में सहायता मिलती है कि किसी भी संगठन के द्वारा अपनी कार्यशील पूंजी का, सफल व्यवसाय को बढ़ाने में किस प्रकार प्रयोग किया गया है। कार्यशील पूंजी का अनुपात जितना अधिक वृहद आकार का होता है वह इस बात का द्योतक होता है कि कम कार्यशील पूंजी का उपयोग करते हुए भी बहुत अधिक व्यवसाय किया गया है।

यदि संगठन के द्वारा स्थिर साधनों में अधिक राशि लगा दी जाती है तो वैसी स्थिति में कार्यशील पूंजी का अनुपात घट जाता है और कार्यशील पूंजी का अनुपात घटने से समिति की जीवन क्षमता भी घट जाती है।

(4) लाभदायकता अनुपात - लाभदायकता अनुपात की जांच के लिये सकल लाभ अनुपात अर्थात् कुल बिक्री पर अर्जित सकल लाभ का प्रतिशत एवं शुद्ध लाभ अनुपात अर्थात् सभी लागतों, शुल्कों एवं व्ययों को घटाने के बाद प्राप्त शुद्ध आय की माप करना आवश्यक होता है। गोयल के अनुसार एक सहकारी संगठन में दस प्रतिशत का सकल लाभ अनुपात पर्याप्त माना जाता है।

(5) विनियोग पर प्रतिफल का अनुपात - इस अनुपात में संगठन के कुल लाभ का संबंध उसके कुल विनियोग के साथ ज्ञात किया जाता है। इसके तीन अवयव हैं-- (1) बिक्री (2) लागत एवं (3) विनियोग.

इसलिये इन तीनों अवयवों का माप किया जाना आवश्यक है जिससे वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। जीव क्षमता के लिये कुल विनियोग से प्राप्त प्रतिफल का अनुपात इस आकार का होना चाहिये जिससे संपूर्ण लागत को घटाने के बाद इतनी पर्याप्त राशि उपलब्ध हो सके जो कुल लाभ में सम्मिलित हो सके।[17.] कुलन्दाय स्वामी एवं नागराजन (1986)[18] ने समितियों की जीव - क्षमता के माप के लिये संकेतक सूचकांकों की संरचना निम्नलिखित प्रादर्श के अनुसार की है --

$$I = \frac{i - i_o \times 100}{i_{100} / i_o}$$

I = संकेतक सूचकांक जिसके द्वारा जीव क्षमता की माप प्रदर्शित होगी

i = संकेतक का अवलोकित मूल्य

i_o = न्यूनतम महत्व-बिन्दु

i_{100}= उच्चतम महत्व बिन्दु

इसी सूत्र के आधार पर इन दोनों लेखकों ने 6 संकेतकों के पृथक-पृथक सूचकांक मापने के बाद सभी सूचकांकों पर समान भार देते हुए उनका औसत सूचकांक ज्ञात किया है जो संबंधित समिति की जीव क्षमता का द्योतक है।

अखिल भारतीय एवं राज्य सन्दर्भ

देश में सहकारिता आन्दोलन के आरंभ से ही ग्राम स्तर पर प्रत्येक गांव में सहकारी समिति गठित करनरे संबंधी नीति को आवश्यक समझा गया था। ग्राम स्तर पर इन समितियों का कार्यक्षेत्र छोटा होने से सदस्यों के बीच पारस्परिक ज्ञान का आदान-प्रदान तथा एक दूसरे के बीच संबंधों में वृद्धि, जो सहकारी सिद्धान्तों के निर्देशक सिद्धान्त के अन्तर्गत आते हैं, जिनको बनाये रखने के लिये आवश्यक समझा गया।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (1954)[19] के प्रतिवेदन में यद्यपि "एक गांव एक समिति तथा एक समिति एक गांव" के सूत्र की सिफारिश की गयी थी, जो आगे चलकर असफल हो गयी और इनके स्थान पर बड़ी समितियों के गठन पर जोर दिया गया, जिनका आकार तथा क्षेत्र विस्तृत हो। इस प्रतिवेदन के आधार पर सहकारी समितियों की जीवक्षमता को सुदृढ बनाने के लिये उनके संगठन तथा पुर्नगठन पर जोर दिया गया। इस तरह बहुत सी छोटी-छोटी समितियों का गठन एवं पुर्नगठन हुआ। 1960 में सहकारी साख समिति के प्रतिवेदन के बाद वृहताकार समितियों की अवधारणा मे कई तरह के परिवर्तन हुए।

इस समिति ने यह सिफारिश की कि साधारण नियमों की तरह सहकारी समितियों का गठन ग्राम समुदाय के आधार पर होना चाहिये जो कि प्राथमिक इकाई की तरह हो। सहकारिताओं की जीव क्षमता को ध्यान मे रखते हुए ऐसे गाव जो अत्यधिक लघु आकार के हो वहा सहकारी समितियों के सेवा-क्षेत्र को बढाना होगा। इस समिति के शब्दो मे सहकारी समितियों की जीव क्षम इकाई के रूप मे विकसित करने के लिए भविष्य में उनके सेवाओं तथा व्यवसाय को बढाने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये। इस समिति के अनुसार एक जीवक्षम इकाई वह है जिससे एक उचित समय सीमा में सरकार की वित्तीय सहायता पर कुछ सीमित अवधि के प्रकरणों को छोड़कर, निर्भर हुए बिना पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण सेवाओं को अधिक से अधिक सदस्यों तक पहुंचाने में सफल होती हैं।

'कमेटी ऑन आर्गनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर (1992)[20] ने भी अपने प्रतिवेदन में कृषि साख समीक्षा समिति की सिफारिशों रसे रसहमत होते हुए अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है जिसमें व्यवसाय के कार्य में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण सहकारिताओं के नये सदस्यों में आत्मविश्वास प्राप्त करना तथा अपने कार्यकलापों से सदस्यों की उच्च सहभागिता ।

को आवश्यक उद्देश्य के रूप में माना है क्यों कि "आत्मविश्वास" तथा "सदस्यों की सहभागिता" सहकारी संगठन के दो प्रमुख सिद्धान्त हैं। इनकी अनुपस्थिति में सहकारिताओं की औपचारिक विशेषतायें अत्यधिक संख्या में देखने को मिलती हैं, जैसे औपचारिक पंजीयन, संविधान आदि परन्तु संगठनात्मक स्वायत्तता, भौतिक विशेषता तथा निर्णय प्रक्रिया में सदस्यों की सहभागिता का अभाव रहता है। अनेक राज्यों में सहकारी समितियाँ लोकउद्यम के रूप में कार्यरत हैं जो सरकारी नियंत्रण में रहती हैं। इन समितियों का कार्य साख प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति करना भी है।

पूर्व अनुच्छेदों में दिये गये निर्देशों के अनुसार समितियों की न्यूनतम व्यवसाय राशि 1973 में दो लाख रूपये रखी गयी थी। जब हम इसे सक्षमता के दृष्टिकोण से देखेंगें तो, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले सुझाव दिया था कि समितियों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 2000 हेक्टेयर क्षेत्र होना चाहिये जिसमें समितियाँ अल्पावधि तथा मध्यावधि साख व्यवसाय का कार्य समुचित रूप से कर सकें। इस तरह देश के प्रायः सभी राज्यों में ग्राम-सहकारिता को मान्यता दी गयी। यह प्रक्रिया गुजरात, जम्मू-काश्मीर एवं महाराष्ट्र को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्रियान्वित की गयी। परन्तु इस तरह की ग्रामीण सहकारिताओं में अधिकांश राज्यों में ऋणी सदस्यों की संख्या में निरन्तर कमी, कम मात्रा में व्यावसायिक कारोबार तथा अतिदेयों का उच्च स्तर और अक्षमता व्याप्त है।

अनुभव के आधार पर देखा गया है कि स्थानीय लोगों द्वारा चलाये जा रहे लघु उपयोगी समूहों, बचत तथा साख समितियों, लघु सहकारी प्रक्रिया इकाई जो कृषकों के सामूहिक हित तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, प्रायः तब से ज्यादा जीवक्षम तथा प्रभावकारी होती हैं, जब यह गांव तथा छोटे स्तर पर क्रियाशील रहती हैं।

सहकारिताओं के विकास में यह प्रवृत्ति छोटी सहकारी इकाइयों को आर्थिक रूप से सक्षम बड़ी संस्थाओं, बैंक, व्यवसायिक तथा औद्योगिक इकाइयों जो विकासखण्ड स्तर पर क्रियाशील हैं उनमें विलय के लिये बाध्य करती है। आकार से अनुकूल प्रबंधकीय पद्धति के रहते हुए यह आकार के प्रतिकूल प्रबंधकीय लागत से समन्वित होता है। सहकारिता की प्रगति में समुचित प्रबंधकीय पद्धति का विकास जो स्थानीय परिस्थितियों से ग्रहण किया जाता है वह पूर्ण रूप से उपेक्षित रहता है।

कृषि साख समीक्षा समिति (1969)[21] ने सहकारी समितियों की जीव क्षमता को विकसित करने के लिये अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों में मुख्य हैं - प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम होना चाहिये, जिसका मुख्य उद्देश्य -ऋण व्यवसाय में वृद्धि, गैर साख व्यवसाय को लाभकारी बनाने के लिये पैकेज का विस्तार,संसाधनों की व्यवस्था, अतिदेयों में कमी आदि है। इन उद्देश्यों को कार्यरूप देने के लिये , जिससे ये अनुकूल स्तर तक जा सकें, साख तथा गैर साख व्यवसाय हेतु क्रमशः 17 लाख, 8 लाख तथा 13 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से मध्यप्रदेश शासन प्रदेश की प्राथमिक साख समितियों के पुर्नजीवन हेतु प्रयत्नशील रहा था। सेवा सहकारी समितियों का गठन तथा पुनर्जीवित समितियों के लिये अनुदान का प्रावधान, प्राथमिक साख समितियों में पुनः जीवन संचरण की वृहत् योजना का एक अंश था। वर्ष 1964 में हैदराबाद में आयोजित पंजीयकों के सम्मेलन में प्राथमिक साख-समितियों के पुनर्जीवन हेतु ठोस योजना बनाने का प्रयास किया गया था।

तदनुसार मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में प्राथमिक साख समितियों के कार्यक्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने हेतु सर्वेक्षण किया गया ताकि ये समितियाँ थोड़े समय में सक्षम इकाईयां बन सकें। इस प्रकार की पुनर्वास योजना का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि कमजोर तथा निष्क्रिय समितियां समाप्त कर दी गई या विलय कर दी गई।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा वर्ष 1975 में मध्यप्रदेश की कृषि साख संस्थाओं के कर्मचारियों के अभ्यास एवं प्रशिक्षण हेतु गठित समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद प्रदेश की प्राथमिक समितियों का आगे पुर्नगठन किये जाने हेतु प्रयास किये गये। इसके निमित्त जो आधार निर्धारित किये गये उनके अनुसार इन समितियों का ऋण व्यवहार 2 लाख रूपये तथा संकलित फसल उत्पादन हेतु 2000 हेक्टेयर कृषि भूमि क्षेत्र का निर्धारण किया गया।

डी0 पी0 गर्ग की अध्यक्षता में गठित मध्यप्रदेश की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के अध्ययनदल (1987) ने राज्य में लैम्पस संस्थाओं को जीवन क्षमता के दृष्टिकोण से अत्यधिक हीन स्थिति में पाया। अध्ययनदल के शब्दों में ' अधिकांश

समितियां हानि में चल रही हैं। संस्थाओं के व्यय तथा आय का नियोजन नही किया जाता है।" 22. अध्ययन दल ने समितियेां की स्थिति सुधारने के लिये उनके कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण, समितियों के पुनर्गठन', वित्तीय सुदृढ़ता के लिये बढ़े हुए सरकारी अनुदान आदि की सिफारिशें की।

रायगढ़ जिले में लैम्प्स की जीवन क्षमता का मूल्यांकन

रायगढ़ जिले में वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (लैम्प्स) की जीवनक्षमता माप के लिये जिले में कार्यरत 37 लैम्प्स संस्थाओं के वर्ष 1991-92 के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए अध्ययन का आधार बनाया गया है :-

पूर्व अनुच्छेदों में शोध विधि के अन्तर्गत उल्लेखित 12 मानदण्डो को जीवन क्षमता माप का आधार बनाया गया। मानदण्ड की शर्ते पूरी होने पर समिति को उस मानदंड के अन्तर्गत इकाई के बराबर मान दिया गया है। मानदंड यदि पूरा नही हुआ है तो किस अनुपात में मानदण्ड पूरा नहीं हुआ है, उसके अनुसार संबंधित समिति को इकाई से कम आनुपातिक मान दिया गया है। 12 मानदण्डो को 12 चर मानते हुए सभी की माप के आकारों का योग करके 12 की संख्या से विभाजित करके उसका माध्य ज्ञात किया गया है। उस माध्य को समिति का मिश्रित जीवनक्षमता सूचकांक (कम्पोजिट वायवलिटी इन्डेक्स) घोषित किया गया है। इस सूचकांक का मान इकाई के बराबर होने से विवेच्य समिति को पूर्णतः माना गया है। 0.95 तक तथा उससे अधिक मान को इकाई के बराबर मानकर समिति को जीवनक्षम घोषित किया गया। 0.85 से 0.95 के बीच मिश्रित सूचकांक होने पर समिति को संभावित जीवनक्षम घोषित किया गया। 0.84 अथवा उससे कम होने पर समितियों को जीवन अक्षम घोषित किया गया है।

रायगढ़ जिले की समस्त 37 लैम्प्स इकाइयों की जीवन क्षमता के परीक्षण के विवरण और परिणाम तालिका 9.1 में दिये गये हैं :-

तालिका में लैम्पुस संस्थाओं की जीवनक्षमता मानदण्ड के विवरण और उनके विवरणों के आधार पर जीव क्षमता सूचकांक प्रस्तुत किये हैं। प्रत्येक मानदण्ड से संबंधित सूचकांक उस मानदंड के स्तंभ के कोष्टकों में प्रस्तुत है।[23.] मानदंडो के आधार पर निकाला गया मिश्रित सूचकांक, मिश्रित मान एवं सूचकांक के स्तंभ में कोष्टक में प्रस्तुत किया गया है। इन समंकों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि रायगढ़ जिले की समस्त लैम्पुस संस्थाओं में 11 समितियाँ जीवक्षम, 14 समितियाँ संभावित जीवक्षम तथा 12 समितियाँ पूर्णतः जीवन अक्षम पायी गयीं।

जीवन क्षम इकाइयों में सर्वोच्च मिश्रित सूचकांक बगीचा समिति का 0.99 रहा है। द्वितीय स्थान 0.98 मिश्रित सूचकांक में क्रमशः तीन समितियाँ कुनकूरी, लैलूंगा तथा राजपुर का रहा है। जीवनक्षम इकाइयों में मिश्रित सूचकांक 0.97 में तीन समितियाँ क्रमशः खारसिया, चपलें तथा धौराभाठा का रहा है। सम्मिश्रित सूचकांक का चतुर्थ स्थान 0.96 में विकासखण्ड स्तरीय लैम्पुस खाम्हरिया का रहा है।

इस प्रकार मिश्रित सूचकांक के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिले में कार्यरत 7 विकासखण्ड स्तरीय लैम्पुस संस्थाओं में बगीचा, कुनकुरी, गम्हरिया, लैम्पुस संस्थायें जीवनक्षम पायी गयीं तथा 30 हाट स्तरीय लैम्पुस संस्थाओं में क्रमशः उरवा, लैलूंगा, राजपुर, चपलें, खारसिया, छर्राटांगर, धौराभांठा तथा केशला समितियाँ जीवनक्षम पायी गयी।

जीवनक्षमता की माप हेतु अपनाये गये मानदण्डों के क्रमवार विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है कि कुछ मानदण्डों में, यथा, मानदंड संख्या 3(अंशपूंजी), 7(कर्मचारी स्थिति) तथा 8 (दोहरी नियंत्रण प्रणाली) में प्रायः समितियों ने जीवनक्षमता के लिये आवश्यक शर्तें पूरी की। इन सभी समितियों में प्रति समिति औसत मान इकाई के बराबर है अर्थात् शत-प्रतिशत समितियाँ इस मानदण्ड के संदर्भ में जीवनक्षमता प्राप्त किये हुये हैं।

मानदण्ड संख्या 6 (निजी भवन) में प्रति समिति औसत माप 0.97 है इसमें 37 समितियों में एक पत्थलगांव समिति को छोड़कर सभी 36 समितियाँ मानदण्ड की शर्तो को पूर्ण करती हैं।

सदस्यों की संख्या में प्रति समिति औसत मान 0.94 है जिसमें 29 समितियाँ शर्तो को पूर्ण करती हैं। सदस्यता के मानदंड को पूरा न करने वाली समितियों में किलकिला

(0.79), घरजियाबथान (0.83), बागबहार (0.72), नवापारा (0.72), उरवा (0.95), खारसिया (0.79), चपले (0.61), मुरा (0.66), जोबी (0.74) समितियां हैं।

मानदण्ड संख्या 12 (अतिदेयों को न्यून बनाने में) प्रति समिति औसत 0.91 है। जिसमें इस मानदण्ड की शर्तो को पूरा करने में 31 समितियां सक्षम हैं। अतिदेयों को न्यून बनाने में अक्षम समितियों में 6 समितियां क्रमशः मनोरा विकासखण्ड स्तरीय समिति (0.82), कापू (0.49), किलकिला (0.65), बागबहार (0.65), छर्राटांगर (0.73), बरगढ़ (0.45) पायी गयी।

ऋण वितरण व्यवसाय में प्रति समिति औसत 0.89 है। जीवन क्षमता के माप के लिये अपनाये गये क्रमवार विश्लेषण में ऋण वितरण व्यवसाय मानदण्ड की शर्तो को 11 समितियॉ पूर्ण नही करती हैं। इन समितियों में विकासखण्ड स्तरीय समिति दुलदुला (0.69), मनोरा (0.38), तपकरा (0.89), हाट स्तरीय समिति धर्मजयगढ़ (0.58), खाड़गांव (0.70), खम्हार (0.33), कापू (0.89), तमता (0.77), लुडेग (0.83), बागबहार (0.48),तथा बरगढ़ (0.37) समितियां हैं।

लैम्पस संस्थाओं की जीवनक्षमता माप के लिये अपनाये गये क्रमवार विश्लेषण के क्रम में मानदण्ड संख्या 4 (जमा पूंजी) जिसका प्रति समिति औसत 0.84 रहा है, इस मानदण्ड इकाई की शर्तो को पूर्ण करने में 23 समितियां सक्षम हैं।

इकाई की शर्तो को पूर्ण नही करने वाली समितियों में 14 समितियों में क्रमशः मनोरा (0.65), खाड़गांव (0.87), खम्हार (0.33), कापू (0.89), तमता (0.78), लुडेग (0.47), कोतबा (0.72), घरघोड़ा (0.86), कुडुमकेला (0.65), केशला (0.51), तथा मकडेगा (0.54) समितियां हैं।

कार्यक्षेत्र की जनसंख्या मानदण्ड में मानदण्ड इकाई के समतुल्य सिर्फ 16 समितियां पायी गयी। इस मानदण्ड का प्रतिसमिति औसत 0.84 है। 21 समितियां मानदण्ड की इकाई को पूरा करने में अक्षम हैं। इन समितियों में धर्मजयगढ़ (0.48), खाड़गांव (0.79), कुडेकेला (0.59), छाल (0.55), पत्थलगांव (0.81), किलकिला (0.51), तमता (0.94), घरजियांबथान (0.41), बागबहार (0.76), नवापारा (0.39), कुडुमकेला (0.88),

धौराभाठा (0.89), उरबा (0.80), छर्राटांगर (0.84), लैलूंगा (0.82), राजपुर (0.83), खारसिया (0.81), चपलें (0.69), बरगढ़ (0.69), मुरा (0.63) तथा जोबी समितियां हैं। इन समितियों में तमता को छोड़कर प्रायः सभी समितियां मानदण्ड इकाई से बहुत कम हैं।

वैधानिक तथा अन्य विधियों पर प्रतिफल मानदण्ड में 21 समितियों द्वारा आवश्यक शर्ते पूर्ण की गई है। इस मानदण्ड का औसत प्रति समिति 0.57 है, जिसमें अपनाये गये मानदण्ड के नीचे 16 समितियां हैं जो इस मानदण्ड के लिये आवश्यक शर्ते पूरी नहीं कर पायी। इन समितियों में दुलदुला, सिसरिंगा, कापू, पत्थलगांव, किलकिला, तमता, धरजियाबधान, लुडेग, बागबहार, कोतबा, घरघोड़ा, नवापारा, कुडुमकेला तथा तमनार समितियां हैं।

पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में किये गये विश्लेषण से यह निष्कर्ष सामने आया कि जिले की 30 प्रतिशत समितियां जीवनक्षम इकाई की शर्तो को पूरा करती हैं। जीवन क्षमता के निर्धारित मानदण्डों के पृथक विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि 43 प्रतिशत समितियां हानि में चल रही हैं। इनमें से लगभग 38 प्रतिशत समितियां संभावित जीवनक्षम की श्रेणी के अन्तर्गत पायी गयीं। इन समितियों की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार होने से इस तरह की समितियां मानदण्डों को पूरा कर जीवनक्षमता हासिल कर सकती हैं। हानि पर चलने वाली 32 प्रतिशत समितियां जीवन अक्षम है । उनमें जीवन क्षमता उत्पन्न करने के लिये अधिक साधनों एवं संरचनात्मक प्रयत्नों की आवश्यकता है।

तालिका 9.2 में सभी जीवन-क्षम, संभावित जीवन-क्षम और जीवन अक्षम इकाइयों की सूची प्रस्तुत की गयी है। साक्ष्यों के परीक्षण के उपरान्त शोधकर्ता की यह दृढ़ धारणा बनी है कि आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत लैम्पस संस्थाएं आत्म निर्भरता एवं व्यावसायिक कार्य कुशलता के मानदण्डों से बहुत पीछे हैं और एक सुदृढ़ और स्वतंत्र आर्थिक इकाई की तरह कार्य नही कर रही हैं। इस अध्ययन के दौरान जिन समितियों का आकलन एक जीवन-क्षम इकाई के रूप में किया गया है उनकी भी वित्तीय स्थिति की संरचना और व्यावसायिक कार्यकलाप के स्तर इसका आश्वासन नही देते कि वे समितियां भविष्य में भी जीवन-क्षम बनी रह सकेंगी। अतः शोधकर्ता का यह सुझाव है कि लैम्पस संस्थाओं को स्थायी रूप से जीवन क्षम बनाने के लिये उनकी कार्यकुशलता के स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिये और उनमें क्रमशः आत्मनिर्भरता उत्पन्न की जानी चाहिये। यहां शोधकर्ता सहकारिता

पर गठित समिति (1960)[23] की इस सिफारिश पर बल देता है कि व्यावसायिक कार्यकलापों के युक्तिसंगत विस्तार के द्वारा सहकारिताओं को क्रमशः आत्मनिर्भर और वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये। वित्तीय सुदृढ़ता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और व्यावसायिक कुशलता जीवन क्षमता के मूल तत्व हैं। शोधकर्ता के मत से जीवन क्षमता के इन मूल आधारों को लैम्पस संस्थाओं में उत्पन्न करने के लिये उन सभी संकेतकों के क्षेत्र में जिनका उपयोग इस अध्ययन में जीवनक्षमता की माप के लिये किया गया है। आवश्यकतानुसार अपेक्षित स्तर में सुधार किये जाने चाहिये जिसके लिये शोधकर्ता निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करता है :

(1) प्रत्येक लैम्पस के कार्यक्षेत्र की जनसंख्या पूर्ववर्ती परिच्छेदों में निर्दिष्ट मानक जनसंख्या 10,000 व्यक्तियों, से अधिक नहीं होनी चाहिये। जिन लैम्पस की सेवित जनसंख्या का आकार इस मानक सीमा से अधिक हो गया है वहां प्रति 10,000 जनसंख्या के लिये लैम्पस की एक नयी शाखा खोलनी चाहिये।

(2) प्रत्येक लैम्पस में सदस्यों की संख्या कम से कम 2000 होनी चाहिये। सदस्यों में सक्रियता उत्पन्न करने के लिये आमसभा की बैठकों में अच्छी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहिये, वहां प्रजातांत्रिक विचार विमर्श की पद्धति विकसित करना चाहिये और सदस्यों को ऋण, कृषि आदान, विपणन, सामाजिक उद्देश्य सभी क्षेत्रों में सहभागी बनाया जाना चाहिये।

(3) अंशपूंजी संरचना में सदस्यों से प्राप्त अंशपूंजी अनुपात को बढ़ाया जाना चाहिये।

(4) लैम्पस की प्रबंध व्यवस्था में सुधार तथा कार्यकुशलता में वृद्धि के लिये उनमें कर्मचारियों की संख्या में तत्काल वृद्धि की जानी चाहिये। कर्मचारियों के लिये सामयिक विभागीय प्रशिक्षण की व्यवस्था को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिये।

(5) लैम्पस के कार्यसंचालन को अधिक सक्षम बनाने के लिये लैम्पस में साख एवं गैर साख कार्यों के लिये पृथक प्रभाग बनाये जाने चाहिये एवं पृथक पृथक कर्मचारियों को इन प्रभागों के कार्य आबंटित किये जाने चाहिये। इससे कार्यों के स्तर में सुधार होगा और लैम्पस द्वारा प्रदत्त सेवाओं का स्तर ऊंचा होगा।

(6) लैम्प्स के व्यावसायिक कार्यकलापों का विस्तार आर्थिक मानदण्डो के अनुरूप लाभकारी क्षेत्रों में किया जाना चाहिये जिससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

(7) अध्ययन क्षेत्र में लैम्प्स संस्थाओं के अतिदेयों में सकारात्मक कमी लायी जाना प्रशंसनीय है। भविष्य में अतिदेय न बढ़े इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये और वसूली की प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखना चाहिये।

(8) लैम्प्स संस्थाओं के साख व्यापार को विस्तृत बनाने के लिये साख को स्थानीय आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिये तथा उसे समय पर उपलब्ध होना चाहिये। इससे लैम्प्स के ऋणी सदस्यों का प्रतिशत बढ़ेगा और व्यावसायिक दृष्टिकोण से लैम्प्स की उपादेयता बढ़ेगी।

ऊपर वर्णित सुझावों को कार्यरूप में परिवर्तित करने पर शोधकर्ता की राय में लैम्प्स संस्थायें स्थायी रूप से जीवन-सक्षम बन सकेंगी।

+ + + + +

+ + +

+

सन्दर्भ - परिच्छेद - 9

1.	Reserve Bank of India	1954	All India Rural Credit Survey Report Vol.II.
2.	Govt. of India	1928	Royal Commission on Agriculture, Govt. Press, Shimla.
3.	Hicks, Herbert G. and C.Roy Gullet.	1975	Organisation: Theory and Behaviour, Mc Graw Hill Book Company, New Delhi, P.386.
4.	Ibid		
5.	Obern, Catherin C. and Steven D. Johes,	1983	"Critical Factor Affecting the Agricultural Production Co-operation, Annals of Public and Co-operative Economy, Vol.52, No.3, September.
6.	Ibid.		
7.	Kulandaiswamy Dr. V. and C.Nagrajan,	1986	Viability of Urban co-operative Banks: A study of Coimbatore District" Indian co-operative Review, XXIV (1) July, 1986, Pp. 56-64.
8.	Ibid		P.56
9.	Reserve Bank of India	1960	The committee on Co-operative Credit.
10.	Ibid		

11.	Reserve Bank of India	1954	All India Rural Credit Survey, Report. Op.cit.
12.	VMNICM	1982	Evaluation of LAMPS, Vaikuntjh Mehta National Institute of Co-operative Management, Pune.
13.	Ibid		Pp. 124-125.
14.	NCUI		Minister's Conference at Hyderabad Proceedings.
15.	Govt. of Kerala	1980	High Level Committee on Co-operative Credit, The Report.
16.	Goyal, B.B.	1988	Co-operative Management and Administration, Deep & Deep Publications, New Delhi.
17.	Paranjoti, T. and P.B.Sasi,	1989	Viability of a Service co-operative Bank in Kerala A Revisit, Indian Co-operative Review, XXVI (3).
18.	Kulandaiswamy Dr.V. and C.Nagrajan,	1986	Op.Cit.
19.	Reserve Bank of India	1954	All India Rural Credit Survey Report Vol.II.
20.	Govt. of India	1992	Committee on Organisation of Rural Poor, The Report.

21.	Reserve Bank of India	1969	All India Rural Credit Review Committee. The Report.
22.	मध्य प्रदेश सहकारी संघ	1987	मध्य प्रदेश की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं पर अध्ययन दल, अध्यक्षः डॉ. डी. पी. गर्ग
23.	National Co-operative Development Corporation.	1960	Report of the Committee on Co-operative Credit, Chairman: V.L. Mehta.

तालिका क्रमांक 9.01

रायगढ़ जिले की लैम्पस संस्थाओं के जीवन क्षमता का मानदण्डों का विवरण **(राशि लाखों में)**

क्र0	लैम्प संस्था का नाम	कार्यक्षेत्र की जनसंख्या 20000	सदस्यों की संख्या 1500	अंशपूंजी एक लाख रूपये	कुल निक्षेप एक लाख रूपये	ऋण वितरण व्यवसाय 6 लाख से कम नहीं	निजी भवन	कम से कम तीन वैतनिक कर्मचारी	दोहरी नियंत्रण प्रणाली	कृषि प्रसाधन उर्वरक आदि वितरण मे उच्च भूमिका	50 प्रतिशत साख आवश्यकताओं की पूर्ति	वैधानिक तथा अल्प विविधयों अंशदान पर प्राप्तफल	अतिदेयों को निम्न बनाने में समंक	मिश्रित मान
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12.	13.	14.	15.
1.	मम्हारेया	46625 (1.00)	3982 (1.00)	6.18 (1.00)	1.31 (1.00)	6.04 (1.00)	1.00	1.00	1.00	2.06 (0.59)	51 (1.00)	0.71 (1.00)	1.43 19.14 (1.00)	11.59 (0.96)
2.	दुलदुला	34337 (1.00)	3253 (1.00)	4.79 (1.00)	1.23 (1.00)	4.14 (1.69)	1.00	1.00	1.00	1.18 (0.34)	37 (0.74)	1.85 (0.00)	1.19 22.36 (1.007)	9.77 (0.81)
3.	मनोरा	42653 (1.00)	2629 (1.00)	4.04 (1.00)	0.65 (0.65)	2.35 (0.39)	1.00	1.00	1.00	0.72 (0.81)	26 (0.52)	0.17 (1.00)	2.24 48.80 (0.82)	10.19 (0.85)
4.	कुनकुरी	62154 (1.00)	3718 (1.00)	7.19 (1.00)	1.73 (1.00)	9.35 (1.00)	1.00	1.00	1.00	3.37 (0.96)	42 (0.84)	1.71 (1.00)	0.07 0.76 (1.00)	11.8 (0.98)
5.	तपकरा	52865 (1.00)	3205 (1.00)	4.71 (1.00)	1.17 (1.00)	5.35 (0.89)	1.00	1.00	1.00	1.89 (0.54)	44 (0.88)	0.25 (1.00)	3.54 39.82 (1.00)	11.03 (0.94)
6.	कांसाबेल	76288 (1.00)	4514 (1.00)	5.40 (1.00)	1.52 (1.00)	6.54 (1.00)	1.00	1.00	1.00	1.79 (0.51)	45 (0.98)	0.63 (0.00)	0.43 7.03 (1.00)	10.49 (0.87)
7.	बगीचा	110739 (1.00)	7047 (1.00)	7.84 (1.00)	4.34 (1.00)	23.19 (1.00)	1.00	1.00	1.00	6.18 (1.00)	42 (0.94)	1.44 (1.00)	5.24 18.43 (1.00)	11.94 (0.99)

//

1. 2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
8. धर्मजयगढ़	9596 [0.48]	1673 [1.00]	4.94 [1.00]	1.05 [1.00]	3.47 [0.58]	1.00	1.00	1.00	1.94 [0.55]	62 [1.00]	0.20 [1.00]	0.66 23.48 [1.00]	10. [0..
9. खड़गांव	15769 [0.79]	1677 [1.00]	2.57 [1.00]	0.87 [0.87]	4.23 [0.70]	1.00	1.00	1.00	2.51 [0.71]	27 [0.94]	0.24 [0.00]	2.33 35.51 [1.00]	8.8 [0.7
10. कुडेकेला	11519 [0.59]	1678 [1.00]	2.50 [1.00]	0.55 [0.55]	7.15 [1.00]	1.00	1.00	1.00	1.66 [0.47]	49 [0.99]	0.25 [1.00]	1.22 20.57 [1.00]	10.5 [0.8
11. छाल	10938 [0.55]	1317 [1.00]	2.80 [1.00]	1.66 [0.66]	10.95 [1.00]	1.00	1.00	1.00	3.57 [1.00]	88 [0.56]	0.05 [1.00]	0.85 7.79 [1.00]	10.7 [0.8
12. खम्हार	21523 [1.00]	1730 [1.00]	2.49 [1.00]	0.51 [0.51]	1.98 [.33]	1.00	1.00	1.00	1.47 [0.42]	37 [0.74]	1.07 [1.00]	1.24 38.50 [1.00]	9.97 [0.83
13. सिसिरिंगा	22614 [1.00]	1813 [1.00]	2.61 [1.00]	0.84 [0.84]	6.12 [1.00]	1.00	1.00	1.00	1.75 [0.49]	43 [0.83]	0.41 [0.00]	0.77 11.17 [1.00]	10.16 [0.85
14. कापु	23645 [1.00]	2039 [1.00]	2.56 [1.00]	0.74 [0.74]	05.36 [0.89]	1.00	1.00	1.00	1.63 [0.73]	62 [1.00]	0.81 [0.00]	2.41 81.69 [0.49]	9. 85 [0.82]
15. पत्थलगांव	16244 [0.81]	2247 [1.00]	3.33 [1.00]	1.46 [1.00]	8.00 [1.00]	0.00	1.00	1.00	2.89 [0.82]	72 [1.00]	0.18 [0.00]	0.14 1.78 [1.00]	09.63 [0.80]
16. किलकिला	10302 [0.51]	1185 [0.79]	2.39 [1.00]	1.46 [1.00]	6.47 [1.00]	1.00	1.00	1.00	1.60 [0.45]	79 [1.00]	0.28 [0.00]	2.45 60.94 [0.65]	9.4 [0.78]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	लमता	18765 [0.94]	1866 [1.00]	2.80 [1.00]	0.78 [0.78]	04.63 [0.77]	1.00	1.00	1.00	1.54 [0.44]	42 [0.84]	0.83	0.94 16.88 [1.00]	9.73 [0.81]
18.	घरजियाक्थान	8194 [0.41]	1256 [0.83]	3.14 [1.00]	1.14 [1.00]	13.71 [1.00]	1.00	1.00	1.00	1.87 [0.53]	33 [0.66]	0.13 [0.00]	1.15 [9.15] [1.00]	9.43 [0.78]
19.	लुडेग	25742 [1.00]	2000 [1.00]	3.66 [1.00]	0.47 [0.47]	4.99 [0.83]	1.00	1.00	1.00	2.47 [0.70]	61 [1.00]	0.05 [0.00]	0.45 9.91 [1.00	10.00 [0.83]
20.	बामबहार	15191 [0.76]	1224 [0.82]	2.08 [1.00]	1.57 [1.00]	2.86 [0.48]	1.00	1.00	1.00	1.31 [0.?7]	76 [1.00]	0.04 [0.00]	1.09 [61.58] [0.65]	7.08 [0.59]
21.	कोतबा	21176 [1.00]	1869 [1.00]	2.94 [1.00]	0.72 [0.72]	6.11 [1.00]	1.00	1.00	1.00	2.42 [0.68]	70 [1.00]	0.18 [0.00]	1.01 14.19 [1.00]	10.4 [0.87]
22.	घरघोड़ा	23184 [1.00]	2763 [1.00]	3.84 [1.00]	0.86 [0.86]	11.82 [1.00]	1.00	1.00	1.00	4.08 [1.00]	56 [1.00]	1.75 [0.00]	5.76 32.76 [1.00]	10.86 [0.90]
23.	नवापारा	7813 [0.39]	1082 [0.72]	2.43 [1.00]	1.66 [1.00]	6.76 [1.00]	1.00	1.00	1.00	2.59 [0.74]	51 [1.00]	0.15 [0.00]	1.02 13.11 [1.00]	9.85 [0.82]
24.	कुडुकेला	17703 [0.88]	1877 [1.00]	2.74 [1.00]	0.56 [0.56]	7.2 [1.00]	1.00	1.00	1.00	3.17 [0.90]	54 [1.00]	2.23 [0.00]	2.69 27.19 [1.00]	10.34 [0.86]
25.	तमनार	23079 [1.00]	2759 [1.00]	2.91 [1.00]	1.08 [1.00]	13.84 [1.00]	1.00	1.00	1.00	4.41 [1.00]	30 [0.60]	5.05 [0.00]	1.1 7.34 [1.00]	10.60 [0.83]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
26.	घोराभांठा	17796 (0.89)	1722 (1.00)	2.70 (1.00)	2.43 (1.00)	10.06 (1.00)	1.00	1.00	1.00	2.59 (0.74)	63 (1.00)	0.31 (1.00)	2.3 18.60 (1.00)	11.63 (0.97)
27.	उरवा	16114 (0.80)	1430 (0.95)	2.37 (1.00)	1.00 (1.00)	14.21 (1.00)	1.00	1.00	1.00	4.11 (1.00)	55 (1.00)	0.35 (1.00)	0.77 5.14 (1.00)	11.75 (0.98)
28.	छर्राटांगर	16747 (0.84)	1816 (1.00)	3.22 (1.00)	1.17 (1.00)	8.52 (1.00)	1.00	1.00	1.00	4.55 (1.00)	51 (1.00)	2.26 (1.00)	10.19 54.46 (0.73)	11.59 (0.96)
29.	लैलूंगा	16518 (0.82)	1557 (1.00)	3.75 (1.00)	1.55 (1.00)	8.25 (1.00)	1.00	1.00	1.00	5.87 (1.00)	69 (1.00)	0.69 (1.00)	1.78 17.74 (1.00)	11.82 (0.98)
30.	केशला	20132 (1.00)	2285 (1.00)	3.30 (1.00)	0.51 (0.51)	7.12 (1.00)	1.00	1.00	1.00	4.46 (1.00)	52 (1.00)	0.77 (1.00)	0.48 6.32 (1.00)	11.51 (0.95)
31.	मुकडेगा	24569 (1.00)	2455 (1.00)	3.80 (1.00)	0.54 (0.54)	10.08 (1.00)	1.00	1.00	1.00	2.70 (0.77)	36 (0.72)	0.45 (1.00)	2.89 22.28 (1.00)	11.03 (0.92)
32.	राजपुर	16667 (0.83)	2196 (1.00)	3.45 (1.00)	1.36 (1.00)	14.93 (1.00)	1.00	1.00	1.00	3.35 (0.95)	56 (1.00)	1.12 (1.00)	0.04 0.27 (1.00)	11.78 (0.98)
33.	खरसिया	16178 (0.81)	1183 (0.79)	4.69 (1.00)	2.53 (1.00)	17.45 (1.00)	1.00	1.00	1.00	8.04 (1.00)	75 (1.00)	0.18 (1.00)	2.48 16.57 (1.00)	11.6 (0.97)
34.	चपले	13754 (0.69)	915 (0.61)	3.85 (1.00)	1.77 (1.00)	18.8 (1.00)	1.00	1.00	1.00	7.18 (1.00)	82 (1.00)	1.07 (1.00)	12.12 31.73 (1.00)	11.3 (0.94)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
35.	मुरा	12600 (0.63)	992 (0.66)	3.75 (1.0)	1.67 (1.00)	13.53 (1.00)	1.00	1.00	1.00	11.22 (1.00)	84 (1.00)	0.22 (1.00)	3.38 19.99 (1.00)	11.29 (0.94)
36.	बरबद्	13754 (0.69)	2003 (1.00)	5.66 (1.00)	3.50 (1.00)	2.25 (0.37)	1.00	1.00	1.00	12.27 (1.00)	78 (1.00)	1.55 (1.00)	17.13 85.39 (0.45)	10.51 (0.87)
37.	जोबी	14491 (0.72)	1108 (0.74)	2.96 (1.00)	1.13 (1.00)	8.17 (1.00)	1.00	1.00	1.00	3.32 (0.94)	87 (1.00)	1.37 (1.00)	1.33 14.00 (1.00)	11.4 (0.95)
	योग -	30.74	34.91	37.00	31.21	32.95	36	37	37	28.18	30.37	21	33.79	381.78 (31.18)
	औसत	0.83	0.94	1.00	0.84	0.89	0.97	1.00	1.00	0.76	0.82	0.57	0.91	

सर्वेक्षणानुसार - 1992

तालिका : 9.2

जीवन क्षमता स्थिति के आधार पर रायगढ़ जिले में लैम्प्स संस्थाओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	जीवन-क्षम इकाइयाँ	मिश्रित जीवन-क्षमता मान	क्रम संख्या	संभावित जीवन-क्षम इकाइयाँ	मिश्रित जीवन-क्षमता मान	क्रम संख्या	जीवन-अक्षम इकाइयाँ	मिश्रित जीवन क्षमता मान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गम्हरिया	0.96	1.	मनोरा	0.85	1.	दुलदुला	0.81
2.	कुनकुरी	0.98	2.	तपकरा	0.94	2.	खड़गांवा	0.73
3.	बगीचा	0.99	3.	कांसाबेल	0.87	3.	खम्हार	0.83
4.	धौराभाठा	0.97	4.	धर्मजयगढ़	0.88	4.	कापू	0.82
5.	उरवा	0.98	5.	कुडेकेला	0.88	5.	पत्थलगांव	0.80
6.	छर्राटांगर	0.96	6.	छाल	0.88	6.	किलकिला	0.78
7.	लैलूंगा	0.98	7.	सिसरिंगा	0.85	7.	तमता	0.81
8.	केसला	0.95	8.	मुकडेगा	0.92	8.	घरजियाबथान	0.78
9.	राजपुर	0.98	9.	कोतवा	0.87	9.	लुड़ेग	0.83
10.	खरसिया	0.97	10.	घरघोड़ा	0.90	10.	बागबहार	0.59
11.	जोबी	0.95	11.	कुडुंकेला	0.86	11.	नावापारा	0.82
			12.	चपले	0.94	12.	तमनार	0.83
			13.	मूरा	0.94			
			14.	बरगड़	0.87			
कुल संख्या से प्रतिशत		29.73			37.84			32.43

स्त्रोत :- सर्वेक्षणानुसार ।